STATEMENT RECOLLISION BETWEEN BAREILLY-AGRA PASSENGER AND BUS -contd.

भी राम चरण (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आईर है। प्वाइंट आफ आईर यह है कि यह जो रेल दुर्घटना हुई है। वह मेरे क्षेत्र में हई है। उसमें मेरे क्षेत्र के गरीब लोग मारे गए हैं। तो मंत्री ·जी ने यह नहीं फरमाया कि जितने लोग इस दुर्घटना में इन्वाल्व हए हैं, उनको कितना कंपे-न्सेशन दिवा जाएगा। यह भी वतायें कि क्या जुडिशल इन्वायरी होगी कि किस तरह से यह ऐक्सीडेंट हुआ ?

MR. SPEAKER: The Minister obviously has not got the information with him. He may supply it to Shri Ram Charan because this occurred in his constituency and it is a serious accident.

MR. SPEAKER: Shri Madhu Limaye

SEVERAL HON. MEMBERS rose-

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Sir, the Minister is rising to answer it.

13 hrs .

MR. SPEAKER: He will give it to Mr. Ram Charan.

SHRI NATH PAI (Rajapur): Sir, if he gives any assurance to Shri Ram Charan elsewhere, it is not binding on him, and knowing their propensity to disregard the assurances they give even in your presence, I suggest that he must make a commitment here. (Interruption) For him, to rise is an effort.

AN HON. MEMBER: Just one minute.

MR. SPEAKER: It is not a question of one minute or even one hour. The statement has been made. There is no use pursuing it like this.

SHRI S. KUNDU: Four Harijans have died.

MR. SPEAKER: If a poor Brahmin or a poor Harijan dies, both are the same; it is an accident. When people die, whether it is the rich or the poor, it is all the same. There is no use of going on like this.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The price of sugarcane has now been announced; I just wanted to know whether it has been done in consultation with the State Governments or not. That is my question.

MR. SPEAKER: No question new. will not be answered.

Now, Mr. Madhu Limaye wanted to raise something about the elections.

13.1 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

WITHHOLDING OF RESULT OF BANAS-KANTHA BYE-ELECTION

भी मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष, महोदय, माज सबेरे सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पालनपूर के चुनाव का नतीजा जो घोषित होने बाला था उस को इलैक्शन कमिशन द्वारा स्यगित कर दिया गया है। उन्होंने अपने एक सहायक को डिप्टी चुनाव कमिश्नर जैकब साहब को वहां जांच करने के लिए भेजा है। इस के पहले एलैक्शन कमिशन के बारे में कश्मीर को लेकर एक दफा बात उठी थी कि उन्होंने अपने अधिकारों के बाहर जाकर कुछ संगठनों को लिखा कि क्या ग्राप भारत की अखंडता के बारे में प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं? जबकि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है और जो इस तरह की शपथ नहीं लेगा उसका बावेदन पत्र रह कर दिया जायगा। फिर इस तरह लिखने की क्या जरूरत थी ? अब हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारे संविधान में, मैं मानता हूं कि एलैक्शन कमिशन स्वतन्त्र अधिकारी है और बहृदबाब में आ कर क। मन करे, लेकिन मैं संविधान में देख रहा है कि अगर वह गलत काम भी करे तो उस को हटने की कोई